न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:346/2018 (जीसीएमएस नं. 2020/00280)

1. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री नारायण, जाति गुर्जर निवासी किला तन दांतरी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. कालू पुत्र स्व. श्री नारायण, जाति गुर्जर निवासी किला तन दांतरी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. जयराम पुत्र स्व. श्री नारायण, जाति गुर्जर निवासी किला, तन दांतरी तहसील मौजमाबद, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. रोडू पुत्र रामदेव, जाति खटीक, निवासी दांतरी, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री कृष्ण कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से
2 श्री हेमन्तु दीक्षित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 12.10.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम दांतरी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 1506 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि जो आबादी खसरा नम्बर 1435/2 गांव की आबादी के बिलकूल लगवा है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता नारायण द्वारा करीब 30 वर्ष पूर्व पक्का मकान एवं बाडा बनाया हुआ है तथा उक्त भूमि आज भी कृषि कार्य में न होकर आवासीय उपयोग में काम आ रही है तथा सम्पूर्ण भूमि पर गांव के बाड़े व कच्चे—पक्के मकानात बने हुऐ है जिसमें गांव के करीब 12—13 घर बने हुए है, उक्त आवंटित भूमि आवंटन के पूर्व से ही पक्के मकान बाडे बने हुए है एवं भूमि रिहायशी उपयोग—उपभोग में काम आ रही है तथा उक्त भूमि कभी आवंटन योग्य नही रही है। उक्त भूमि पूर्व से ही ग्राम पंचायत दांतरी द्वारा आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव पारित किया जाकर उक्त भूमि की आबादी विस्तार की कार्यवाही विचाराधीन थी। उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता ने विधुत कनेक्शन जारी करवाया है जिसका आज भी अपीलान्ट उपयोग—उपभोग करते आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ चुके थे उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 05.06.2012 मे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जयराम, कालूराम, रामस्वरूप पिता नारायण गुर्जर निवास कर रहे है, मकान बना हुआ है, बाडों में चारा डाल रखा है, मकानों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2014 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2014 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन दिनांक 28.05.1992 को खसरा नम्बर 1506 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दांतरी तहसील मौजमाबाद का आवंटन निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन हेतु शीघ्र निस्तारण कर अपीलार्थीगण के कदीमी कब्जेशुदा भूमि का आवासीय पट्टा दिलवाने की कार्यवाही की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी वादग्रस्त आवंटन के समय खाली थी जो आवंटन के समय पटवारी, गिरदावर ने स्पष्ट रिपोर्ट की है कि प्रस्तावित भूमि पर किसी अन्य का अतिक्रमण या कब्जा नही है, पटवारी गिरदावर ने अपनी रिपोर्ट में भूमि को काबिले आवंटन होना दर्ज किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जाति का सदस्य है और इस वजह से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आवंटन के पात्र होने के कारण आवंटन समिति द्वारा सभी जॉच व शर्तों की पालना करते हुऐ वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई है एवं तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन की सभी शर्तो की पालना किये जाने के पर तहसीलदार ने तथ्यों की जॉच की जाकर अजमेआम में आवंटित आराजी का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा बदनियतिपूर्वक बिना किसी हक व बिना किसी अधिकार के प्रार्थना पत्र 14(4) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात् प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही खारिज किया गया है जो विधि है एवं अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2014 की पुष्टि की जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते

हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का ने तथ्यों को तस्दीक कर प्रस्तावित भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण कब्जा नही होना अंकित किया है तथा आवंटन कमेटी ने आराजी खसरा नम्बर 1506 किस्म बारानी प्रथम आवंटी रोडू को आवंटन किये जाने की सिफारिश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है जिस पर केवल अतिक्रमण की आड में अपीलान्ट्स के किसी प्रकार के हक हकूक अधिकार उत्पन्न नही हो सकते। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2014 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2014 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।